बिहार सरकार

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
पाटलिपुत्र भवन प्रमण्डल, भवन निर्माण विभाग, पटना
अतिअल्पकालीन निलामी आमंत्रण सूचना सं०–02 वर्ष 2025–26 (स्थानीय प्रचार–प्रसार)

एतद् द्वारा सर्वसाधन को सूचित किया जाता है कि प्रमण्डल अन्तर्गत निम्नांकित कार्य यथा अनुपयोगी सामग्री इत्यादि को स्थल से हटा/ले आने हेतु जहाँ है, जैसा है, के आधार पर स्थानीय प्रचार–प्रसार से निलामी आमंत्रित की जाती है, जिसमे समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदक/फर्म/व्यक्ति भाग लेने हेतु प्रमण्डल कार्यालय में दिनांक–30.03.2026 को 3.00 बजे अपराह्न तक आवदेन प्राप्त किया जाएगा तथा उसके उपरान्त आमंत्रण निलामी की बोली की कार्रवाई की जाएगी। निलामी की न्यूनतम राशि एवं जमानत की राशि की विवरणी नीचे अंकित तालिका के अनुरूप होगी। सफल बोलीकर्त्ता को निलामी की शेष राशि दों दिनों के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा, ऐसा नहीं करने पर जमा की गयी जमानत की राशि जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

1. समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदक/फर्म/व्यक्ति निलामी में भाग ले सकेंगे, जिन्हें निबंधन प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र पैन कार्ड एवं आचरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न/स्वहस्ताक्षरित करना अनिवार्य होगा, ऐसा नही करने पर निलामी से वंचित रखा जाएगा।
2. निलामी में भाग लेने से पूर्व निलामी सामग्रियों का निरीक्षण स्थल पर जाकर कर लिया जाय अन्यथा, बाद में कोई दावा मान्य नही होगा।
3. अंकित सामग्रियों के निलामी में डाक बोली के लिए इन्छुक संवेदकों/कर्मी को सामग्रियों की कार्य के नाम के सामने अंकित जमानत की राशि जमानत के रूप में सफल बोली कर्त्ता को बोली मुल्य का 25% राशि का बैंक ड्रॉफ्ट विधिवत अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करना होगा, जो पटना स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्रॉफ्ट रूप में कार्यपालक अभियता, पाटलिपुत्र भवन प्रमण्डल, पटना के पदनाम से होना चाहिए, तो स्वीकार होगा।
4. सफल बोली कर्ता/व्यक्ति/फर्म द्वारा जमा किए गए जमानत की राशि को निलामी की अधिकतम बोली की राशि में समायोजन कर लिया जाएगा तथा शेष राशि वाँछित प्रक्रिया उपरान्त निदेशानुसार अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आवश्यक प्रक्रिया के तहत जमा करना होगा अन्यथा जमानत की राशि जब्त करते हुए निलामी रदद् कर दी जाएगी, जिसमें संवेदक/फर्म/व्यक्ति का किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
5. सफल बोली कर्त्ता को निलामी के बोली की अधिकत्तम राशि का 10% अतरिक्त अग्रधन के रूप में डाकघर बचत पासबुक या डाकघर में जमा प्रथम, द्वितीय या तृतीय वर्षीय टी.डी. अथवा बिहार राज्य अन्तर्गत निर्गत राष्ट्रीय बचत–पत्र या किसान विकास–पत्र फिक्स डिपोजिट, के रूप में देय होगा जो विधिवत् कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र भवन प्रमण्डल, पटना के पदनाम से प्रतिज्ञित रहेगा।
6. असफल व्यक्ति/फर्म/संवेदक को नियमानुसार उनके अनुरोध पर जमानत की राशि वापस कर दिया जाएगा।
7. निलामी के पश्चात् निर्गत कार्यादेश के अनुसार अनुपयोगी सामग्रियों को सहायक अभियंता/कनीय अभियंता के देख–रेख में एक सप्ताह के अंदर हटा लेना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रथम सप्ताह के लिए प्रत्येक दिन RS 10000 (रूपये दस हजार मात्र) की दर से दंड वसूल किया जाएगा, इसके पहचात् भी कार्य संपादित नही होने पर विभाग द्वारा कार्य सम्पन्न करा दिया जाएगा और जमा की गयी राशि जब्त कर ली जाएगी, इस सन्दर्भ में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
8. सामग्रियों को स्थल से हटाकर ले जाने हेतु किसी प्रकार का मजदूरों एवं सामग्री ढुलाई देय नहीं होगा।
9. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए निलामी रदद् करने का अधिकर सुरक्षित है। विशेष परिस्थितीयों के अनुसार निलामी के सन्दर्भ में अलग से भी आवश्यकतानुसार विशेष शर्त्त लागू करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
10. विशेष सूचना के लिए सूचनापद् देखें या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में सम्पर्क करें।
11. उक्त कार्य की निलामी अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, भवन निर्माण विभाग, पटना का पत्रांक–1568 अनु0 दिनांक–20.02.2026 के आलोक में कार्य की महत्ता एवं आवश्यकता को देखते हुए आमंत्रित की जा रही है।

क्र0 सं0	कार्य/भवन/कार्यालय भवन का नाम	निलामी की न्यूनतम राशि	जमानत की राशि
1	2	3	4
1	Auction of Old and Damage Furniture in 96 Officer's flat at Nehru Path, Patna for the year 2025-26.	60000.00	6000.00

ह0/–
कार्यपालक अभियंता .
पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल,पटना।

ज्ञापांकः– दिनांकः–

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह0/–
कार्यपालक अभियंता
पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल, पटना।

ज्ञापांकः– 985 दिनांकः– 20/3/2026

प्रतिलिपिः–कार्यपालक अभियंता, केन्दीय भवन प्रमंडल, पटना/पटना भवन प्रमंडल, पटना/गर्दनीबाग भवन प्रमंडल, पटना/सहायक अभियंता, गोलघर/बेली रोड/साउथ बेली रोड, अवर प्रमंडल/रोकड़पाल/प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी/प्राक्कलन पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

20/3/26

कार्यपालक अभियंता
पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल, पटना।
20/3/26